प्रेस विज्ञप्ति

14-08-2026

प्रवर्तन निदेशालय ने लाडा–सरली सीमांत राजमार्ग परियोजना मामले में 2.69 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया;

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने अरुणाचल प्रदेश में लाडा–सरली सीमांत राजमार्ग परियोजना (पैकेज-IV एवं V) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण मुआवजे के आकलन एवं वितरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत न्याकपो यांगफो की 2.69 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के बालिजान सर्किल में स्थित तारासो गांव में 7,950 वर्ग मीटर भूमि, जिसका मूल्य 1.59 करोड़ रुपये है, तथा चेसा गांव में स्थित दो मत्स्य तालाबों सहित 3,440 वर्ग मीटर भूमि, जिसका मूल्य 1.10 करोड़ रुपये है, शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा विभिन्न सरकारी अधिकारियों एवं निजी लाभार्थियों के विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की। उक्त प्राथमिकी में लाडा–सरली सीमांत राजमार्ग परियोजना के पैकेज-IV एवं V के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण मुआवजे के आकलन, स्वीकृति एवं वितरण में व्यापक स्तर पर अनियमितताओं तथा सार्वजनिक निधियों के गबन का आरोप था।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह सामने आया कि न्याकपो यांगफो लाडा-सरली सीमांत राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत भूमि मुआवजे के लाभार्थियों में से एक था, जिसे परियोजना के पैकेज-IV एवं पैकेज-V के अंतर्गत कुल 3.36 करोड़ रुपये का मुआवजा प्राप्त हुआ था। तथ्य-अन्वेषण समिति/पुनः सत्यापन प्रक्रिया के निष्कर्षों तथा लाभार्थीवार तुलनात्मक विवरणों के आधार पर, लगभग 3.25 करोड़ रुपये की राशि को बांस, अन्य सामान्य वृक्षों तथा एसपीटी भवन के मद में अतिरिक्त/ अनुचित मुआवजे के रूप में चिह्नित किया गया, जिनका भौतिक सत्यापन के दौरान अस्तित्व नहीं पाया गया।

जांच में आगे यह भी सामने आया कि 05.06.2025 को 1.89 करोड़ रुपये का मुआवजा प्राप्त होने के तुरंत बाद, न्याकपो यांगफो ने 06.06.2025 को तारासो गांव में 7,950 वर्ग मीटर भूमि की खरीद के लिए 1.59 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। इसी प्रकार, 22.07.2025 को 1.46 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त होने के पश्चात, उसने 23.07.2025 को चेसा गांव में दो मत्स्य तालाबों सहित 3,440 वर्ग मीटर भूमि की खरीद के लिए 1.10 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। इस प्रकार, जांच में अपराध की आय और उक्त अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के बीच धन के प्रवाह का प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से पहचान योग्य संबंध स्थापित हुआ।

तदनुसार, उपर्युक्त अचल संपत्तियां, जिनका कुल मूल्य 2.69 करोड़ रुपये है तथा जिनका प्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से अधिग्रहण किया गया है, को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

परियोजना के लिए अतिरिक्त/अनुचित मुआवजा प्राप्त करने वाले घोटाले के अन्य लाभार्थियों के संबंध में आगे की जांच जारी है।